2011] 3 एस0 सी0 आर0 830
अजीत कुमार
बनाम
झारखण्ड राज्य एवं अन्य
2011 कि सिविल अपील संख्या 2420
10 मार्च 2011
डॉ. मुकुंदकम शर्मा और अनिल आर. दवे, जे0 जे0
भारत का संविधान 1950

[अनुच्छेद 310] 311(2)(बी0) अवर न्यायाधीश - अनुच्छेद 3112(बी] के प्रावधानों को प्रयोग करते हुए सेवा से हटाया जाना अभिनिर्धारित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने सही माना कि यह था पूछताछ करना संभव नहीं सेवा कानून।

अनुच्छेद **311(2)**(बी0½311(2)(बी0) सपथित अनुच्छेद 233] 234 से **236** अवर न्यायाधीश बिना जांच किए उच्च न्यायालय की सिफारिश से सेवा से हटा दिया गया - सन्धारित अनुच्छेद डी 233 को अनुच्छेद 235 और 236 के प्राव्धान के अर्थांतर्गत अवर न्यायाधीश भि एक न्यायाधिश हैA उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 234 - 236 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्तियों के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है - उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारण के लिए जांच से छूट देने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है लिखित रूप में और वैध कारणों से जांच की ऐसी व्यवस्था जब राज्यपाल को अनुशंसित की जाती है, तो अनुच्छेद 311(2) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की सिफारिश के संदर्भ में ऐसे आदेश जारी करना राज्यपाल की क्षमता के भीतर है।) - न्यायपालिका की स्वतंत्रता - शक्तियों का पृथक्करण - सेवा कानून।

उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के एक प्रस्ताव के आधार पर अपीलकर्ता, एक अवर न्यायाधीश को सेवा से हटाने के लिए राज्यपाल द्वारा 31.07.2003 को एक आदेश जारी किया गया था। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, कि उच्च न्यायालय के पास अपीलकर्ता जैसे न्यायिक अधिकारी को हटाने के उद्देश्य से परिकल्पित जांच से दूर रहने की कोई शक्ति नहीं थी और इसलिए, विवादित आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता किसी भी कदाचार का दोषी था; अपीलकर्ता को सेवा से हटाने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।

हाई कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी. व्यथित होकर रिट याचिकाकर्ता ने अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए कहा सन्धारित किया %

प्रसाद् के सिद्धांत के तहत, जिसे हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत मान्यता दी गई है, सरकार के अधीन सभी सिविल पद सरकार की इच्छा पर रखे जाते हैं और उसकी इच्छा पर समाप्त किए जा सकते हैं। उक्त शक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के आलोक में संवैधानिक मंजूरी प्राप्त हुई, और यह संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है जिसमें अनुच्छेद 310(2) और अनुच्छेद 311(1) और (2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध शामिल हैं। यद्यपि एक प्रसाद् सिद्धांत है, तथापि, इसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता है और यह इन शर्तों के अधीन है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाना है या सेवा से हटाया जाना है या उसका पद कम किया गया है, तो विभागीय जांच की आवश्यकता है उसके कदाचार की जाँच की जानी चाहिए और ऐसी जाँच करने के बाद, यदि वह दोषी पाया जाता है, तो ही किसी व्यक्ति को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जा सकता है या रैंक में कमी की जा सकती है। इसलिए, भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत, सिविल सेवकों की बर्खास्तगी को अनुच्छेद 311 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, और अनुच्छेद 311(2) के उल्लंघन को उचित ठहराने के उद्देश्य से अनुच्छेद 310(1) को स्वतंत्र रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 311(2) को उप-खंड (ए), (बी) और (सी) के साथ शामिल करके एक अपवाद प्रदान किया गया है। खंड (ए) एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर किसी आपराधिक अदालत द्वारा कुछ आरोपों पर उसे बिना जांच किए सेवा से हटाया जा सकता है।

इसी प्रकार, खंड (सी) के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ की जाने वाली जांच को समाप्त किया जा सकता है यदि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना संभव नहीं है। दूसरी ओर, उप-खंड (बी) में प्रावधान है कि ऐसी जांच को संबंधित प्राधिकारी द्वारा कारण दर्ज करने के बाद रद्द किया जा सकता है, जिसके लिए जांच करना व्यावहारिक नहीं है। उक्त शक्ति अनुशासनात्मक प्राधिकारी की एक पूर्ण शक्ति है जो उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसी असाधारण शक्ति का सहारा ले सकती है, बशर्ते वह उसमें निर्धारित पूर्व शर्तों का सार्थक और प्रभावी ढंग से पालन करे। पैरा 10] [837-सी-एच; 838-ए-एफ1

1.2. मौजूदा मामले में, संबंधित अधिकारी अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा था और निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वह स्वयं निर्णय तैयार नहीं करता था, वह इसे किसी निकाय के माध्यम से तैयार करता था। अन्यथा। निर्विवाद रूप से, ई निरीक्षण न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी। उच्च न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया और उसके बाद उसकी राय थी कि अपीलकर्ता के मामले में जांच करना संभव नहीं है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी जांच करने से छूट दी जानी चाहिए। इससे अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कई निर्णयों की वैधता पर सवाल उठ सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया कारण जांच न करने का कानूनी और वैध आधार था। इसलिए, उसे सुनवाई का कोई अवसर देने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जांच करने और उसे सुनवाई का अवसर देने की गुंजाइश विशेष रूप से

समाप्त कर दी गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को सेवा से हटाने की सिफारिश की। नतीजतन, राज्यपाल ने डीजीएच के अनुच्छेद 311(2)(बी) के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया। संविधान. अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत असाधारण शक्ति को लागू करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और पूर्व शर्तों का अनुपालन किया गया है और प्रावधानों के मापदंडों के भीतर उचित रूप से प्रयोग किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को हटाने का आदेश पारित किया गया है। बी क्षेत्राधिकार और शक्ति के बिना सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। (पैरा 11 और 12] [838-जी-एच; 839-ए-डी]

2.1 एलटी यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता था। एक अधीनस्थ न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 235 और 236 के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 233 के प्रावधानों के तहत एक न्यायाधीश भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति वहां के राज्यपाल द्वारा की जानी है। ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य, अनुच्छेद 234 - 236 की तरह, अन्य बातों के साथ-साथ कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संविधान में शामिल किया गया है और यह **bl** दायरे से संबंधित है। राज्य के तीनों अंगों की शक्तियों के पृथक्करण पर विवाद नहीं किया जा सकता कि इन अनुच्छेदों के तहत शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाना है -ए] सी डी एफ

2.2. संविधान की योजना के तहत उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 234 से 236 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्तियों के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को यह देखने की भी शक्ति प्राप्त है कि जिला न्यायपालिका को चलाने के लिए उचित व्यक्तियों के चयन द्वारा न्यायपालिका की उच्च परंपराओं और मानकों को बनाए रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा के सदस्य बनने के योग्य नहीं पाया जाता है या यह पाया जाता है कि उसने कदाचार किया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 311(2))(बी) के तहत निर्धारित पूर्व शर्तों का पालन करके ऐसी बर्खास्तगी या निष्कासन के लिए भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

यहां तक कि पद से हटाने या पद से हटाने की सजा देने के लिए भी उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और ऐसी सजाओं की सिफारिश कर सकता है।

इसी तरह, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के लिए जांच से छूट देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और जब राज्यपाल को सिफारिश की जाती है तो वैध कारणों के लिए जांच सी की ऐसी व्यवस्था राज्यपाल की क्षमता के भीतर होती है। भारत के संविधान के

अनुच्छेद 311(2) (बी} के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की सिफारिश के संदर्भ में ऐसे आदेश जारी करें। पैरा 15] [840-बी-एफ]

2.3। इसलिए, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है अपीलकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई और न ही उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई कमी है (पैरा 16] [840-एफ-जी] डी

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या।2011 का 2420.

डब्ल्यू पी (एस) स0 2003 का 4582 में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 02.11.2007 के निर्णय एवं आदेश से। (एस0 संख्या 4582 ऑफ 2003-

एन.एस. गहलोत, विजय प्रताप सिंह, के.एस. अपीलकर्ता की ओर से राणा।

प्रतिवादियों की ओर से एफ रतन कुमार चौधरी, कृष्णानंद पांडे।

कोर्ट का फैसला जी डीआर द्वारा सुनाया गया। मुकुंदकम शर्मा जे के द्वारा

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय एच द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.11.2007 के खिलाफ निर्देशित है।

एआईटी कुमार बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

3. यहां अपीलकर्ता गढ़वा, झारखंड में अधीनस्थ ए न्यायाधीश के रूप में कार्यरत था, जब झारखंड के राज्यपाल ने एक संकल्प के आधार पर 31.07.2003 को जारी आदेश द्वारा उसे सेवा से हटाने का आदेश जारी किया था। झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने उन्हें सेवा से हटाने की सिफारिश की।

4. यहां अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर करके झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के पास न्यायिक को हटाने के उद्देश्य से परिकल्पित जांच से छूट देने की कोई शक्ति नहीं है। अपीलकर्ता जैसा अधिकारी था और इसलिए, आक्षेपित आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह दिखाने के लिए **vfHkys[k** पर कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता किसी भी कदाचार का दोषी था और इसलिए निष्कासन का आदेश अवैध था और विशेष रूप से इस तथ्य के कारण भी कि सेवा से हटाने से पहले अपीलकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। यह भी प्रस्तुत किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के

प्रावधान (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करके हटाने के विवादित आदेश को पारित करने में पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया।

5. उपरोक्त दलीलों पर उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आलोक में विचार किया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायाधीश, गढ़वा के रूप में पदोन्नत किया गया था और 05.05.2003 को तत्कालीन निरीक्षण न्यायाधीश ने गढ़वा सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया और अपीलकर्ता से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण किया और अपनी गोपनीय रिपोर्ट तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को सौंपी। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ कहा कि अपीलकर्ता स्वयं निर्णय तैयार नहीं करता था, बल्कि वह निर्णय देने से पहले इसे किसी और के माध्यम से तैयार करता था। यह भी पाया गया कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मामले को पूर्ण न्यायालय में भेज दिया। 18.06.2003 को पूर्ण न्यायालय ने गोपनीय रिपोर्ट और निरोक्षण न्यायाधीश के रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ने निर्णय दिया कि अपीलकर्ता को बिना किसी जांच के सेवा से हटाने की सिफारिश की जा सकती है क्योंकि यह महसूस किया गया कि संस्था के हित में जांच करना व्यावहारिक नहीं था क्योंकि इससे वैधता पर सवाल उठ सकता था। उनके द्वारा दिए गए कई निर्णयों की.

6. नतीजतन, पूर्ण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ उसे सेवा से हटाने की जांच से छूट देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान (बी) को लागू करने की सिफारिश की, जिसके बाद राज्यपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को सेवा से हटाने का आक्षेपित आदेश जारी किया, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा पारित निष्कासन के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान (बी) को लागू करके पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव की सिफारिश पर पारित किया गया था जो अनुमति देता है। इस आधार पर जांच की व्यवस्था करना कि जांच कराना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत शक्ति का उपरोक्त प्रयोग अनुमेय है और इसलिए ई अपीलकर्ता को सेवा से हटाने की कार्रवाई कानूनी और उचित थी।

7. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील दायर की गई थी जिस पर हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

8. भारत के संविधान की योजना के अंतर्गत, सार्वजनिक सेवा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 309, 310 और 311 में पाए जा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रावधान (अर्थात् अनुच्छेद 310 और 311) लोक सेवकों को उचित जांच किए बिना या सुनवाई दिए बिना बर्खास्त किए जाने, हटाए जाने या रैंक में कमी किए जाने से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

9. अनुच्छेद 311 लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 311 के अपवाद खंड (ए), (बी) और (सी) से खंड (2) में प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 311 का 837, जो यह प्रावधान करता है कि उक्त अनुच्छेद ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के लिए दंडित किया गया है, जहां लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जांच करना संभव नहीं है। या जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी जांच राज्य की सुरक्षा बी के हित में नहीं की जानी चाहिए।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति की सराहना करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 को देखना उचित होगा। izlkn के सिद्धांत के तहत, जिसे हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत मान्यता दी गई है, सरकार के अधीन सभी नागरिक पद उस सरकार की इच्छा पर रखे जाते हैं जिसके तहत वे रखे जाते हैं और उसकी इच्छा पर समाप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त शक्ति वह है जिसे izlkn का सिद्धांत परिभाषित करता है, जिसे यूनाइटेड किंगडम में मान्यता दी गई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के आलोक में हमारे संविधान के तहत संवैधानिक मंजूरी भी प्राप्त हुई थी। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में यह संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है जिसमें अनुच्छेद 310 (2) और अनुच्छेद 311 (1) (2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध शामिल हैं। इसलिए, भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत।

सिविल सेवकों की बर्खास्तगी को अनुच्छेद 311 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और अनुच्छेद 310(1) को अनुच्छेद 311(2) के उल्लंघन को उचित ठहराने के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 311 (2) को उप-खंड (ए), (बी) और (सी) के साथ शामिल करके एक अपवाद प्रदान किया गया है। व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी के प्रयोजनों के लिए ऐसी कोई जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है, जब यह दोषसिद्धि के आधार पर बर्खास्तगी से संबंधित हो या जहां दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जांच करना व्यावहारिक न हो। उस प्राधिकारी द्वारा लिखित जो किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या उसका पद कम करने का अधिकार रखता है या राज्य की सुरक्षा के लिए जांच कराना व्यावहारिक नहीं है। इन तीन अपवादों को किसी जांच से मुक्ति के लिए अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत तब आयोजित किया जाना आवश्यक है जब प्राधिकारी एच डी ई के लिए कोई निर्णय लेता है। बर्खास्तगी या निष्कासन या शब्दों में रैंक में कमी, हालांकि एक आनंद सिद्धांत है, तथापि, इसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता है और यह शर्तों के अधीन है कि जब एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाना है तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा या उसे सेवा से हटा दिया जाएगा। रैंक में कमी, बी के कदाचार की जांच के लिए विभागीय जांच आयोजित करने की आवश्यकता होती है और ऐसी जांच के बाद ही और ऐसी जांच के दौरान यदि वह दोषी पाया जाता है तो ही किसी व्यक्ति को सेवा से हटाया या

बर्खास्त किया जा सकता है या पदावनत किया जा सकता है। पद। जैसा कि यहां कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत निर्धारित जांच आयोजित करने के ऐसे संवैधानिक प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में दिए गए अपवादों के तहत भी हटाया जा सकता है जहां खंड (ए) एक मामले से संबंधित है किसी व्यक्ति को कुछ आरोपों पर आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर उसे बिना किसी जांच के सेवा से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार खण्ड (ग) के अन्तर्गत लेखन। अन्य डी में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ की जाने वाली जांच को समाप्त किया जा सकता है यदि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना संभव नहीं है। दूसरी ओर, उप-खंड (बी) में प्रावधान है कि ऐसी जांच को संबंधित प्राधिकारी द्वारा कारण दर्ज करने के बाद रद्द किया जा सकता है, क्योंकि ई के लिए जांच करना व्यावहारिक नहीं है। उपरोक्त शक्ति अनुशासनात्मक प्राधिकारी की एक पूर्ण शक्ति है जो उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसी असाधारण शक्ति का सहारा ले सकती है बशर्ते वह उसमें निर्धारित पूर्व शर्तों का सार्थक और प्रभावी ढंग से पालन करे।

11. संबंधित मामले में, संबंधित अधिकारी अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा था और निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वह स्वयं निर्णय तैयार नहीं करता था, वह इसे किसि अन्य के माध्यम से तैयार करता था। निर्णय देने से पहले किसी अन्य जी निकाय के माध्यम से। निर्विवाद रूप से, निरीक्षी न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी। उच्च न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया और उसके बाद उसकी राय थी कि अपीलकर्ता के मामले में जांच करना संभव नहीं है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी एच जांच कराने से छूट दी जानी चाहिए। की जांच को वही माना जाता है, जिससे अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कई निर्णयों की वैधता पर सवाल उठ सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया उपरोक्त कारण जांच न करने का कानूनी और वैध आधार था। इसलिए उसे सुनवाई का कोई अवसर देने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जांच करने और उसे सुनने का अवसर देने की गुंजाइश विशेष रूप से समाप्त कर दी गई थी।

12. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को सेवा से हटाने की सिफारिश की। इसके बाद, राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया क्योंकि जांच करने से अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कई निर्णयों की वैधता पर सवाल उठ सकता है। अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत असाधारण शक्ति को लागू करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और पूर्व शर्तों का अनुपालन किया गया है और प्रावधानों के मापदंडों के भीतर उचित रूप से प्रयोग किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को हटाने का आदेश पारित किया गया है। सेवाओं को अधिकार क्षेत्र और शक्ति के बिना नहीं माना जा सकता।

13. अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया अगला तर्क यह था कि संविधान ई के अनुच्छेद 311(2) (बी) के तहत उपरोक्त शक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त कथन को इस तथ्य के मद्देनजर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि एक अधीनस्थ न्यायाधीश भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 और 236 के प्रावधानों के अर्थ में एक न्यायाधीश है। .

14. अनुच्छेद 233 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जानी है। उपरोक्त जी प्रावधान, अनुच्छेद 234 - 236 की तरह, भारत के संविधान में विशेष रूप से कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए शामिल किया गया है और यह राज्य के तीन अंगों की शक्ति के पृथक्करण के दायरे से संबंधित है।

15. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त अनुच्छेदों के तहत शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाना है। भारतीय संविधान की योजना के तहत उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 234 से बी 236 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को यह देखने की भी शक्ति प्राप्त है कि जिला न्यायपालिका को चलाने के लिए उचित व्यक्तियों के चयन द्वारा न्यायपालिका की उच्च परंपराओं और मानकों को बनाए रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा के सदस्य बनने के योग्य नहीं पाया जाता है या यह पाया जाता है कि उसने कदाचार किया है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सेवा से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत निर्धारित पूर्व शर्तों का पालन करके ऐसी बर्खास्तगी या निष्कासन के लिए भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक कि बर्खास्तगी या निष्कासन या रैंक में कमी की सजा देने के लिए भी, उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही आयोजित कर सकता है और ऐसी सजाओं की सिफारिश कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के साथ पठित अनुच्छेद 233 - 235 के तहत आने वाले व्यक्तियों पर ऐसी सजा लगाने के लिए राज्यपाल अकेले ही सक्षम हैं। इसी तरह, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है कि ई को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के लिए जांच करने से रोक दिया जाए और राज्यपाल को सिफारिश किए जाने पर वैध कारणों के लिए जांच की ऐसी व्यवस्था की जाए, यह राज्यपाल की क्षमता के भीतर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की सिफारिश के संदर्भ में ऐसे आदेश जारी करें।

16. इसलिए, हमें अपीलकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और न ही हमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई कमजोरी मिलती है। उठाए गए सभी विवाद निराधार पाए गए।

17. तदनुसार, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है और हम इसे खारिज कर देते हैं लेकिन पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

आर.पी.

अपील खारिज.

<u>यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>